

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी का नाम : पंकज गढ़वाल (आर०ए०एस०)
प्रकरण संख्या - 56/2019

अनवान : -

1. प्रेमशंकर (मृतक) पुत्र बुधराम जाति ब्राह्मण निवासी असरजाना तहसील नोहर-मृतक
1/1. रानी देवी पत्नी स्व० प्रेमशंकर जाति ब्राह्मण निवासी असरजाना तहसील
नोहर।
1/2. अश्विनी कुमार शर्मा पुत्र स्व० प्रेमशंकर ब्राह्मण निवासी असरजाना तहसील
नोहर।
1/3. देवदत्त शर्मा पुत्र स्व० प्रेमशंकर जाति ब्राह्मण निवासी असरजाना तहसील
नोहर।
1/4. सुशीला पुत्री स्व० प्रेमशंकर जाति ब्राह्मण जाति ब्राह्मण निवासी असरजाना
तहसील नोहर।
2. मनोहरी पत्नी पुरुषोत्तम ब्राह्मण निवासी असरजाना तहसील नोहर।

- वादीगण

बनाम्

1. कौशल्या देवी पत्नी धनश्याम जाति ब्राह्मण निवासी असरजाना तहसील नोहर।
2. इन्द्रजीत पुत्र धनश्याम जाति ब्राह्मण निवासी असरजाना तहसील नोहर।
3. नीलम
4. प्रमीला } पुत्रीयान धनश्याम जाति ब्राह्मण निवासी असरजाना तहसील नोहर।
5. ललीता }
6. राजेन्द्र कुमार पुत्र नानकचन्द जाति ब्राह्मण निवासी असरजाना तहसील नोहर।
7. ओमप्रकाश पुत्र रामचन्द्र जाति ब्राह्मण निवासी असरजाना तहसील नोहर।
8. गिन्नी देवी पत्नी रामचन्द्र जाति ब्राह्मण निवासी असरजाना तहसील नोहर।
9. जगदीश प्रसाद पुत्र रामचन्द्र जाति ब्राह्मण निवासी असरजाना तहसील नोहर।
10. मदनलाल पुत्र रामचन्द्र जाति ब्राह्मण निवासी असरजाना तहसील नोहर।
11. राजकुमार पुत्र रामचन्द्र जाति ब्राह्मण निवासी असरजाना तहसील नोहर।
12. शिवकुमार पुत्र रामचन्द्र जाति ब्राह्मण निवासी असरजाना तहसील नोहर।
13. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

-असल प्रतिवादीगण

14. महेन्द्र पुत्र बुधराम ब्राह्मण निवासी असरजाना तहसील नोहर।
15. ओमप्रकाश पुत्र बुधराम ब्राह्मण निवासी असरजाना तहसील नोहर-फौत
15/1. मनोहरी पत्नी स्व ओमप्रकाश जाति ब्राह्मण निवासी असरजाना तहसील
नोहर।
15/2. दर्शना पुत्री स्व ओमप्रकाश जाति ब्राह्मण निवासी असरजाना तहसील नोहर।
15/3. भवानी शंकर पुत्र स्व० ओमप्रकाश जाति ब्राह्मण निवासी असरजाना तहसील
नोहर।
15/4. रेणु कुमारी पुत्री स्व० ओमप्रकाश जाति ब्राह्मण निवासी असरजाना तहसील
नोहर।
15/4. रेणु कुमारी पुत्री स्व० ओमप्रकाश जाति ब्राह्मण निवासी असरजाना तहसील
नोहर।
16. राजकुमार पुत्र पुरुषोत्तम जाति ब्राह्मण निवासी असरजाना तहसील नोहर।
17. लिछमा पुत्री पुरुषोत्तम जाति ब्राह्मण निवासी असरजाना तहसील नोहर।
18. संतोष देवी पत्नी रामनिवास जाति जाट निवासी असरजाना तहसील नोहर।
19. मोतीराम पुत्र ओमप्रकाश जाति ब्राह्मण निवासी असरजाना तहसील नोहर।
20. मदनलाल पुत्र रामचन्द्र जाति ब्राह्मण निवासी असरजाना तहसील नोहर।


प्रतिवादीगण

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 56 सन 2019 निर्णय दिनांक 07/02/2025

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री नरेन्द्र किशोर जोशी एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि वादी स0 1 व 2 तथा प्रतिवादी संख्या 14 से 20 को रोही मौजा असरजाना तहसील नोहर के ख0न0 165 की 5.6910 हैक्ट हैक्ट भूमि के संयुक्त खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा प्रतिवादी संख्या 1 ता 12 को रोही मौजा असरजाना तहसील नोहर के ख0न0 168 की 5.6020 हैक्ट भूमि के नये ख0न0 बनाये जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 को क्रमश 168/1 की 3.6420 हैक्ट भूमि व प्रतिवादी संख्या 7 ता 12 को ख0न0 168/2 की 1.9600 हैक्ट भूमि व ख0न0 253/4 की 1.6820 हैक्ट भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरुस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 07/02/2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।


(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी का नाम : पंकज गढवाल (आर०ए०एस०)
प्रकरण संख्या - 56/2019
अनवान : -

1. प्रेमशंकर (मृतक) पुत्र बुधराम जाति ब्राहमण निवासी असरजाना तहसील नोहर-मृतक
1/1. रानी देवी पत्नी स्व० प्रेमशंकर जाति ब्राहमण निवासी असरजाना तहसील
नोहर।
1/2. अश्विनी कुमार शर्मा पुत्र स्व० प्रेमशंकर ब्राहमण निवासी असरजाना तहसील
नोहर।
1/3. देवदत्त शर्मा पुत्र स्व० प्रेमशंकर जाति ब्राहमण निवासी असरजाना तहसील
नोहर।
1/4. सुशीला पुत्री स्व० प्रेमशंकर जाति ब्राहमण जाति ब्राहमण निवासी असरजाना
तहसील नोहर।
2. मनोहरी पत्नी पुरुषोत्तम ब्राहमण निवासी असरजाना तहसील नोहर।

- वादीगण

बनाम

1. कौशल्या देवी पत्नी धनश्याम जाति ब्राहमण निवासी असरजाना तहसील नोहर।
2. इन्द्रजीत पुत्र धनश्याम जाति ब्राहमण निवासी असरजाना तहसील नोहर।
3. नीलम
4. प्रमीला } पुत्रीयान धनश्याम जाति ब्राहमण निवासी असरजाना तहसील नोहर।
5. ललीता }
6. राजेन्द्र कुमार पुत्र नानकचन्द जाति ब्राहमण निवासी असरजाना तहसील नोहर।
7. ओमप्रकाश पुत्र रामचन्द्र जाति ब्राहमण निवासी असरजाना तहसील नोहर।
8. गिन्नी देवी पत्नी रामचन्द्र जाति ब्राहमण निवासी असरजाना तहसील नोहर।
9. जगदीश प्रसाद पुत्र रामचन्द्र जाति ब्राहमण निवासी असरजाना तहसील नोहर।
10. मदनलाल पुत्र रामचन्द्र जाति ब्राहमण निवासी असरजाना तहसील नोहर।
11. राजकुमार पुत्र रामचन्द्र जाति ब्राहमण निवासी असरजाना तहसील नोहर।
12. शिवकुमार पुत्र रामचन्द्र जाति ब्राहमण निवासी असरजाना तहसील नोहर।
13. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

- असल प्रतिवादीगण

14. महेन्द्र पुत्र बुधराम ब्राहमण निवासी असरजाना तहसील नोहर।
15. ओमप्रकाश पुत्र बुधराम ब्राहमण निवासी असरजाना तहसील नोहर-फौत
15/1. मनोहरी पत्नी स्व ओमप्रकाश जाति ब्राहमण निवासी असरजाना तहसील
नोहर।
15/2. दर्शना पुत्री स्व ओमप्रकाश जाति ब्राहमण निवासी असरजाना तहसील नोहर।
15/3. भवानी शंकर पुत्र स्व० ओमप्रकाश जाति ब्राहमण निवासी असरजाना तहसील
नोहर।
15/4. रेणु कुमारी पुत्री स्व० ओमप्रकाश जाति ब्राहमण निवासी असरजाना तहसील
नोहर।
15/4. रेणु कुमारी पुत्री स्व० ओमप्रकाश जाति ब्राहमण निवासी असरजाना तहसील
नोहर।
16. राजकुमार पुत्र पुरुषोत्तम जाति ब्राहमण निवासी असरजाना तहसील नोहर।
17. लिष्मा पुत्री पुरुषोत्तम जाति ब्राहमण निवासी असरजाना तहसील नोहर।
18. संतोष देवी पत्नी रामनिवास जाति जाट निवासी असरजाना तहसील नोहर।
19. मोतीराम पुत्र ओमप्रकाश जाति ब्राहमण निवासी असरजाना तहसील नोहर।
20. मदनलाल पुत्र रामचन्द्र जाति ब्राहमण निवासी असरजाना तहसील नोहर।

- प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88-89, राजस्थान काश्त०

अधि० 1955

उपस्थिति :- श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी
पैरोकार राज

निर्णय

दिनांक: 07/02/2025


उपखण्ड अधिकारी
नोहर

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा असरजाना तहसील नोहर के खाता स० 77/44 के ख०न० 168 की 5.6910 हैक्ट जिमसे प्रेमशंकर, ओमप्रकाश, महेन्द्र पि० बुधराम 1/2 हिस्सा, राधेश्याम, विनोद, गोविन्द, सरोज पुत्र पुत्रीयान बिमला 1/6 हिस्सा, मनोहरी पत्नी पुरुषोत्तम, राजकुमार, लिछमा पुत्र पुत्रीया पुरुषोत्तम बहिब 1/6 हि०, पुष्पा पत्नी ज्ञानेन्द्र 1/8 हिस्सा, कुंज बिहारी पुत्र ज्ञानेन्द्र 1/18 हिस्सा व मोनिका पत्नी सुभाष, दीपक आईशा पुत्र पुत्रीया सुभाष 1/18 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है।

रोही मौजा असरजाना तहसील नोहर के खाता स० 22/22 के ख०न० 165/1 की 3.6420 हैक्ट भूमि जिसमें कौशल्या पत्नी घनश्याम, ललिता, नीलम, प्रमिला पुत्रीया घनश्याम 0.607 हैक्ट भूमि, राजेन्द्र कुमार, सुरेन्द्र कुमार पि० नानकचन्द 3.035 हैक्ट भूमि के खातेदार काश्तकार है। रोही मौजा असरजाना तहसील नोहर के खाता स० 25/22 के ख०न० 165/2 की 1.9600 हैक्ट, 253/4 की 1.6820 हैक्ट कुल 3.6420 हैक्ट भूमि स्थित है जिसमें गन्नी देवी पत्नी रामचन्द्र का 1/10 हिस्सा, शिवकुमार, राजकुमार, मदनलाल, जगदीश प्रसाद, ओमप्रकाश पि० रामचन्द्र जाति ब्राहमण बहिब 9/10 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है।

रोही मौजा असरजाना तहसील नोहर के खाता स० 25/22 के ख०न० 165/2 की 1.9600 हैक्ट, 253/4 की 1.6820 हैक्ट कुल 3.6420 हैक्ट भूमि पर वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण संख्या 15 ता 28 काश्त करते आ रहे हैं तथा उक्त वाद भूमि प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 18 को बंटवारा में मिली थी एवं पूर्वजों द्वारा बंटवारानामा के अनुसार 40 वर्षों से काश्त करते आ रहे हैं तथा वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण संख्या 15 ता 28 के नाम दर्ज भूमि रोही मौजा असरजाना के खाता स० 77/74 की कुल 5.6910 हैक्ट भूमि प्रतिवादी संख्या 1 ता 13 के नाम दर्ज होनी थी। प्रतिवादी संख्या 1 ता 13 के नाम दर्ज भूमि वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण संख्या 15 ता 18 के नाम दर्ज होनी थी। इसलिए वादी वादग्रस्त भूमि दुरुस्त करवाकर अपने व तरतीबी प्रतिवादीगण संख्या 15 ता 28 के नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। यही बिनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादी स० 1 को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं० 1 ता 13 ने जरिये अधिवक्ता वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 13 को कोई ऐतराज नहीं है। अधिवक्ता वादी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 6 नियम 17 सीपीसी पेश कर निवेदन किया की

ॐ
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

वादी स0 1 व 2 तथा प्रतिवादी संख्या 14 से 20 को रोही मौजा असरजाना तहसील नोहर के ख0न0 165 की 5.6910 हैक्ट हैक्ट भूमि के संयुक्त खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा प्रतिवादी संख्या 1 ता 12 को रोही मौजा असरजाना तहसील नोहर के ख0न0 168 की 5.6020 हैक्ट भूमि को प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के नाम कमश 168/1 की 3.420 हैक्ट भूमि व प्रतिवादी संख्या 7 ता 12 के नाम 168/2 की 1.9600 हैक्ट भूमि व ख0न0 253/4 की 1.6820 हैक्ट भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे वादी के प्रार्थना पत्र पर अधिवक्ता प्रतिवादीगण द्वारा ऐतराज जाहिर नही करने के कारण प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया। प्रतिवादी संख्या 13 परोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य नवीनतम व पुरानी जमाबंदी, शपथ पत्र बाबत सदस्य आदि दस्तावेज पेश किये जो की शामिल मिसल किये गये।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई कृषि भूमि है उक्त भूमि में ख0न0 168 में दर्ज भूमि संयुक्त खाता मे है तथा अन्य भूमि का खाता व लगान सही दर्ज नही हुआ है अतः उक्त भूमि में वादी स0 1 व 2 तथा प्रतिवादी संख्या 14 से 20 को रोही मौजा असरजाना तहसील नोहर के ख0न0 165 की 5.6910 हैक्ट हैक्ट भूमि के संयुक्त खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा प्रतिवादी संख्या 1 ता 12 को रोही मौजा असरजाना तहसील नोहर के ख0न0 168 की 5.6020 हैक्ट भूमि को प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के नाम कमश 168/1 की 3.420 हैक्ट भूमि व प्रतिवादी संख्या 7 ता 12 के नाम 168/2 की 1.9600 हैक्ट भूमि व ख0न0 253/4 की 1.6820 हैक्ट भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई ऐतराज नही है। अतः वादी का वाद डिकी फरमाया जावें।


परोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा असरजाना तहसील नोहर के खाता स0 77/83 की 5.6910 हैक्ट भूमि प्रेमशंकर, ओमप्रकाश, महेन्द्र प्रत्येक के 1/6 हिस्सा, मोतीराम, मदनलाल के 1/24 हिस्सा, सतोष देवी के 1/36 हिस्सा भूमि तथा खाता स0 23/22 की कुल 3.6420 हेक्ट भूमि में कौशल्या पत्नी घनश्याम, ललिता, नीमल, प्रमिला प्रत्येक का 1/30 हिस्सा तथा इन्द्रजीत पुत्र घनश्याम के 312/3035 हिस्सा तथा राजेन्द्र पुत्र नानकचंद का 1391/1821 हिस्सा एवं खाता स0 26/25 के ख0न0 165/2 की 1.9600 हैक्ट तथा

ख0न0 253/4 की 1.6820 हैक्ट भूमि में गिन्नी देवी पत्नी रामचन्द्र का 1/10 हिस्सा, शिवकुमार, राजकुमार, मदनलाल, जगदीश प्रसाद, ओमप्रकाश पि0 रामचन्द्र जाति ब्राहमण बहिब 9/50 हिस्सा भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों से उक्त वाद भूमि पैतृक भूमि होना साबित है तथा उभयपक्ष ने भी उक्त वाद भूमि हिन्दु परिवार की साझा आय से अर्जित पैतृक कृषि भूमि होना जाहिर किया है। वादी का कथन है कि उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई कृषि भूमि है उक्त भूमि में ख0न0 168 में दर्ज भूमि संयुक्त खाता मे है तथा अन्य भूमि का खाता व लगान सही दर्ज नहीं हुआ है अतः उक्त भूमि में वादी स0 1 व 2 तथा प्रतिवादी संख्या 14 से 20 को रोही मौजा असरजाना तहसील नोहर के ख0न0 165 की 5.6910 हैक्ट हैक्ट भूमि के संयुक्त खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा प्रतिवादी संख्या 1 ता 12 को रोही मौजा असरजाना तहसील नोहर के ख0न0 168 की 5.6020 हैक्ट भूमि को प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के नाम क्रमश 168/1 की 3.420 हैक्ट भूमि व प्रतिवादी संख्या 7 ता 12 के नाम 168/2 की 1.9600 हैक्ट भूमि व ख0न0 253/4 की 1.6820 हैक्ट भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल पेश किया गया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादी संख्या 1 ता 12 को कोई एतराज नहीं है। अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि वादी स0 1 व 2 तथा प्रतिवादी संख्या 14 से 20 को रोही मौजा असरजाना तहसील नोहर के ख0न0 165 की 5.6910 हैक्ट हैक्ट भूमि के संयुक्त खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा प्रतिवादी संख्या 1 ता 12 को रोही मौजा असरजाना तहसील नोहर के ख0न0 168 की 5.6020 हैक्ट भूमि के नये ख0न0 बनाये जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 को क्रमश 168/1 की 3.6420 हैक्ट भूमि व प्रतिवादी संख्या 7 ता 12 को ख0न0 168/2 की 1.9600 हैक्ट भूमि व ख0न0 253/4 की 1.6820 हैक्ट भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरुस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ला दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 07/02/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर